



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01072022-236979
CG-DL-E-01072022-236979

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2880]
No. 2880]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 1, 2022/आषाढ़ 10, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 1, 2022/ASHADHA 10, 1944

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2022

का.आ. 3026(अ).—केंद्रीय सरकार, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ परामर्श के पश्चात्, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात्:-

- (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) संशोधन स्कीम, 2022 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 में, -
 - पैरा 2 में, खंड (खक) का लोप किया जाएगा;
 - पैरा 5 में, उप-पैरा (1) में, "खंड 7ख में विनिर्दिष्ट रीति से" शब्द, अंक और अक्षर का लोप किया जाएगा;
 - पैरा 6 में, उप-पैरा (2) का लोप किया जाएगा;
 - पैरा 7क, 7ख और 7ग का लोप किया जाएगा;

[फा. सं. 14/1/2022 बीओ.-I]

समीर शुक्ला, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल स्कीम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ. 3793(अ), तारीख 16 नवम्बर, 1970 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसमें अंतिम बार संशोधन संख्या का.आ. 366(अ), तारीख 25 जनवरी, 2021 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Financial Services)
NOTIFICATION

New Delhi, the 1st July, 2022

S.O. 3026(E).—In exercise of the powers conferred by section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India, hereby makes the following Scheme further to amend the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, namely:—

1. (1) This Scheme may be called the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Amendment Scheme, 2022.
- (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
2. In the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970,—
 - (i) in paragraph 2, clause (ba) shall be omitted;
 - (ii) in paragraph 5, in sub-paragraph (1), the words, figure and letter “in the manner as specified in clause 7B” shall be omitted;
 - (iii) in paragraph 6, sub-paragraph (2) shall be omitted;
 - (iv) paragraphs 7A, 7B and 7C shall be omitted.

[F. No. 14/1/2022-BO-I]

SAMEER SHUKLA, Jt. Secy.

Note : The principal Scheme was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section 3, sub-section (ii), vide notification number S.O. 3793(E), dated the 16th November, 1970, and was last amended vide number S.O. 366(E), dated the 25th January, 2021.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2022

का.आ. 3027(अ).—केंद्रीय सरकार, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ परामर्श के पश्चात्, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1980 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) संशोधन स्कीम, 2022 है।
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1980 में, -
 - (i) पैरा 2 में, खंड (खक) का लोप किया जाएगा;
 - (ii) पैरा 5 में, उप-पैरा (1) में, "खंड 7ख में विनिर्दिष्ट रीति से" शब्द, अंक और अक्षर का लोप किया जाएगा;
 - (iii) पैरा 6 में, उप-पैरा (2) का लोप किया जाएगा;
 - (iv) पैरा 7क, 7ख और 7ग का लोप किया जाएगा;

[फा. सं. 14/1/2022 बीओ.-I]

समीर शुक्ला, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल स्कीम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ. 875(अ), तारीख 4 नवम्बर, 1980 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसमें अंतिम बार संशोधन संख्या का.आ. 367(अ), तारीख 25 जनवरी, 2021 द्वारा किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st July, 2022.

S.O. 3027(E).—In exercise of the powers conferred by section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (40 of 1980), the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India, hereby makes the following Scheme further to amend the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980, namely:—

1. (1) This Scheme may be called the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Amendment Scheme, 2022.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980,—

- (i) in paragraph 2, clause (ba) shall be omitted;
- (ii) in paragraph 5, in sub-paragraph (1), the words, figure and letter “in the manner as specified in clause 7B” shall be omitted;
- (iii) in paragraph 6, sub-paragraph (2) shall be omitted;
- (iv) paragraphs 7A, 7B and 7C shall be omitted.

[F. No. 14/1/2022-BO-I]

SAMEER SHUKLA, Jt. Secy.

Note: The principal Scheme was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-Section (ii) vide notification number S.O. 875(E), the dated 4th November, 1980, and was last amended vide number S.O. 367(E), dated the 25th January, 2021.